न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

142

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 2015–दो/2016 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 25–1–2016 – पारित व्दारा – कलेक्टर, जिला सिंगरोली – प्रकरण क्रमांक 01/2014–15 स्व. निगरानी

1– लालबहादुर सिंह पुत्र लाल प्रताप सिंह
2– महेन्द्रप्रताप सिंह पुत्र पुत्र लाल प्रताप सिंह
3– योगेन्द्र सिंह पुत्र लाल बहादुर सिंह
सभी निवासी ग्राम लहिया तहसील चितरंगी
जिला सिंगरोली, मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1–मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर सिंगरोली
2– यज्ञनारायण पुत्र स्व.जगबन्त सिंह
ग्राम लहिया तहसील चितरंगी जिला सिंगरोली ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री आर0एस0सेंगर)
(अनावेदक क–1 के पैनल लायर)
(अनावेदक क–2 के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 20–08 –2018 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर, जिला सिंगरोली के प्र.क. 01/2014–15 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25 जनवरी, 2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक क्रमांक–1 ने सहायक बंदोवस्त अधिकारी दल क्रमांक–4 चितरंगी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि उनके पिता लाल बहादुर सिंह पुत्र लाल प्रताप सिंह को दि0 3–6–1950 को 10 एकड़

भूमि (बंदोवस्त के वाद भूमि सर्वे क्रमांक 13/1 एंव 13/2) (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) का पटटा प्राप्त हुआ था जिसकी राजस्व अभिलेख में वर्ष 1955-56 लगायत 1960-61 में भूमिस्वामी के रूप में प्रविष्टि दर्ज रही है , तत्पश्चात् तैयार किये गये खसरा वर्ष 1980-81 में लिपिकीय त्रृटि से भूमि मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज कर दी गई, इसलिये पटटे के अनुसार भूमि लालबहादुर सिंह के नाम दर्ज की जाय। सहायक बंदोवस्त अधिकारी दल क्रमांक-4 चितरंगी ने प्र0क0 162 अ-74/ 1996-97 पॅजीबद्व किया तथा जांच उपरांत आदेश दिनांक 13-6-1997 पारित करके वादग्रस्त भूमि आवेदक क्रमांक 1 के नाम दर्ज करने के आदेश दिये। तदुपरांत नायव तहसीलदार तहसील चितरंगी ने नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 1 पर आदेश दिनांक 1-7-2002 पारित करके सहायक बंदोवस्त अधिकारी दल क्रमांक-4 चितरंगी के आदेश दिनांक 13-6-1997 का अभिलेख में अमल कराया गया। तहसीलदार चितरंगी ने नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 3 पर पारित आदेश दिनांक 13-2-2008 से वादग्रस्त भूमि आवेदक क्रमांक 2 व 3 के स्वामित्व पर अंकित कराने का आदेश दिया।

कलेक्टर जिला सिंगरोली ने सहायक बंदोवस्त अधिकारी चितरंगी के प्रकरण क्रमांक 162 अ-74/1996-97, नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 1 पर दिये गये आदेश दिनांक 1-7-2002 एंव तहसीलदार चितरंगी के नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 3 पर पारित आदेश दिनांक 13-2-2008 के परीक्षण पर अनियमिततायें करना पाने से दिनॉक 23-7-2015 को आवेदकगण के विरूद्व स्वमेव निगरानी प्रकरण पंजीबद्व किया गया तथा पक्षकारों को सुनकर प्रकरण क्रमांक 01/2014-15 स्व. निगरानी में आदेश दिनांक 25-1-16 पारित करते हुये वादग्रस्त भूमियॉ मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये। कलेक्टर जिला सिंगरोली के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो के तथ्यानुक्रम में हितबद्व पक्षकारों के अभिभाषकों के

तर्क सुनना चाहे, किन्तु उन्होंने 15 दिवस के भीतर लिखित में तर्क प्रस्तुत करने का आग्रह किया। आवेदकगण के अभिभाषक ने लिखित तर्क प्रस्तुत किये, किन्तु अनावेदक क-1 एंव 2 के अभिभाषक व्दारा आदेश पारित करने के पूर्व तक लेखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक की आपत्ति है कि कलेक्टर सिंगरोली ने सहायक बंदोवस्त अधिकारी के आदेश दिनांक 13-6-1997 के विरूद्ध 23-7-2015 को स्वमेव निगरानी विलम्ब से पॅजीबद्व की है । इस आपत्ति के क्रम विचार योग्य है कि सहायक बंदोवस्त अधिकारी व्दारा शासन मद में अंकित चली आ रही भूमि आवेदकगण के नाम दर्ज करने का तथ्य कलेक्टर सिंगरोली के ध्यान में कब आया है ? कलेक्टर सिंगरोली के प्रकरण क्रमांक 01/2014-15 स्वमेव निगरानी के अवलोकन से परिलक्षित है कि सहायक बंदोवस्त अधिकारी दल क्रमांक 4 चितरंगी व्दारा प्रकरण क्रमांक 172/96-97 में पारित आदेश दिनांक 13-6-1997 से मध्य प्रदेश शासन के स्वामित्व की दर्ज चली आ रही भूमि सर्वे क्रमांक 13 रकबा 3-08 हैक्टर आवेदक क्रमांक 1 के नाम कर देने का तथ्य प्रथम वार 23-7-15 अथवा उसके कुछ दिन पूर्व आया है । कलेक्टर ने आर्डरशीट दि. 23-7-15 लिखकर स्वमेव निगरानी प्रकरण पॅजीबद्व किया है।

1. **भेरूलाल विरूद्व किशनलाल 1990 रा0नि0 30 में माननीय उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण करने में परिसीमा का वर्जन नहीं है।**
2. **छोटीवाई (श्रीमती) विरूद्व म0प्र0 राज्य 2009 रा.नि. 357 में माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत प्रतिपादित है कि गलत प्रविष्टियों के बारे में सूचना अभिप्राप्त होने के तुरन्त पश्चात् पुनरीक्षण में स्वप्रेरणा की शक्ति प्रयोग की गई, इसे विलम्बित नहीं कहा जा सकता।**
3. **गयादीन बनाम म.प्र.राज्य 2005 रा0नि0 383 में बताया गया है कि कपट, छल व्दारा अभिप्राप्त आदेश अपास्त करने के लिये परिसीमा बाधक नहीं है।**

अतः आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा परिसीमा के सम्बन्ध में उठाई गई आपत्ति इन्हीं कारणों से माने जाने योग्य नहीं है।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक ने लेखी बहस में तथा निगरांनी मेमो बताया है कि राजस्व अभिलेख में वर्ष 1955-56 लगायत 1960-61 में भूमिस्वामी के रूप में वादग्रस्त भूमि पर लालबहादुर सिंह पुत्र लालप्रताप सिंह के नाम की प्रविष्टि दर्ज रही है एंव तत्पश्चात् तैयार किये गये खसरा वर्ष 1980-81 में लिपिकीय त्रृटि से भूमि मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज कर दी गई, इसलिये सहायक बंदोवस्त अधिकारी ने पटटे के अनुसार भूमि लालबहादुर सिंह के नाम दर्ज कराने का आदेश दिया है।

आवेदकगण के अभिभाषक के उक्तानुसार तथ्यों के कम में कलेक्टर सिंगरोली की आर्डरशीट दिनांक 23-7-15 (सहा.बंदोवस्त अधिकारी चितरंगी के प्रकरण कमांक 172 अ-74/96-97 की परीक्षण रिपोर्ट) के अवलोकन पर पाया गया कि कलेक्टर व्दारा इस आर्डरशीट के पद 4 एंव 5 इस प्रकार अंकन किया गया है :-

4. म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 के प्रभावशील होने के पूर्व से प्रश्नाधीन भूमि शासकीय दर्ज अभिलेख होती आ रही है एंव संहि4ता के लागू होने के उपरांत भी निरन्तर म0प्र0शासन के नाम दर्ज रही आई थी। ऐसी भूमियों को निजी स्वामितव में दर्ज कराने जाने की अधिकारिता सहायक बंदोवस्त अधिकारी को नहीं थी। इस प्रकार प्रश्नाधीन आदेश अधिकारितारहित एंव शून्यवत् है जिसके आधार पर अनावेदक का नाम भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज अभिलेख नहीं कराया जा सकता।
5. अनावेदक कमांक 1 व्दारा प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी स्वत्वों का अर्जन विधि के सम्यक अनुकम में नहीं किया गया है, वल्कि कूटरचित पटटे के आधार पर अनावेदक व्दारा सहायक बंदोवस्त अधिकारी के समक्ष प्रश्नाधीन भूमि को निजी स्वामित्व में दर्ज अभिलेख कराये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर पारित सहायक बंदोवस्त अधिकारी का आदेश शून्यवत् था। ऐसे आदेश के आधार पर नायव तहसीलदार एंव तहसीलदार व्दारा पश्चात्वर्ती अवधि में नामान्तरण पंजियों में पारित आदेश भी निराधार एंव शून्यवत् होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

कलेक्टर सिंगरोली व्दारा छानवीन पर शासकीय अभिलेख में भूमि वर्ष 1959 से निरन्तर मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज चली आई है। भूमि सर्वे कमांक 13 रकबा 3-08 हैक्टर बहुत बड़ा भू भाग है एंव यह भूमि वर्ष 1959 से 1996 (37 वर्ष तक) तक मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज चली आई एंव आवेदकगण 37 वर्ष के अंतराल तक चुप बैठे रहे। इतनी लम्बी अवधि के वाद वर्ष 1996 में सहायक बंदोवस्त अधिकारी चितरंगी के समक्ष उक्त भूमि पर नाम इन्द्राज

का आवेदन देना संदेह की परिधि में है जिसके कारण कलेक्टर सिंगरोली व्दारा विस्तृत विवेचना करते हुये आदेश दिनांक 25 जनवरी, 2016 में निकाले गये निष्कर्षो में हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव कलेक्टर, जिला सिंगरोली व्दारा प्रकरण क्रमांक 01/2014-15 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25 जनवरी, 2016 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर